


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1915/2010 / दूँगरपुर

उनवान— मैं ० फेन्डस डिस्ट्रीब्यूटर्स, दूँगरपुर वनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, दूँगरपुर

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मध्य इनीशियल जाज</p> | <p>मंबर नं तारी अहकाम जो दूँगरपुर की तारी में जारी हुआ</p> |
| <p>08.04.2015</p> | <p>खण्डपीठ <u>श्री मदन लाल – सदस्य</u> <u>श्री मनोहर पुरी – सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी एमेनेस्टी स्कीम वर्ष 2015 अधिसूचना संख्या एफ/12(16) एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपील को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील को विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रत्युत अपील संख्या 1915/2010 दूँगरपुर जरिये विद्वाल (Withdrawal) खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p> (मनोहर पुरी) सदस्य</p> <p> (मदन लाल) सदस्य</p> | |